

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज।

ee.forbesganj@gmail.com

पत्रांक 1610

/फारबिसगंज, दिनांक: 15/6/21

प्रेषक:

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज।

सेवा में,

M/S S.S. Construction
Shiv Puri

Araria

विषय:

जी.टी.एस.एन.वाई. योजनान्तर्गत वनमंरवी पार्सर से महेन्द्र
मंडल टोला।

.....पथ में पंचवर्षीय रूटीन अनुरक्षण कार्यसात दिनों के अंदर पूरा कराकर पथ को
ठीक करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि आपके द्वारा एकरारनामा में अंकित तकनीकी
विशिष्टियों के अनुरूप पथ का नाम वनमंरवी पार्सर से महेन्द्र मंडल
टोला। का प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम वर्ष का रूटीन अनुरक्षण
कार्य नहीं कराये जाने के कारण उक्त पथ की स्थिति खराब है, जिसके कारण आवागमन में कठिनाई हो रही
है। जो एकरारनामा के अनुरूप नहीं हैं। बार-बार लिखित एवं मौखिक स्मार देने के बावजूद अनुरक्षण कार्य नहीं
कराया गया।

अतः निदेश दिया जाता है कि सात दिनों के अंदर उक्त पथ निम्न अनुरक्षण कार्य करा कर इसे ठीक
करावें—

1. पथ में पैच —पॉट मरम्मत का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।
2. Flank/Shoulder/Approach का मरम्मत का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।
3. पुल/पुलिया की मरम्मत सह रंग-रोगन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।
4. साइनबोर्ड की रंगाई-पोताई का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।

अतः सात दिनों में अपने संबंधित कनीय अभियंता/सहायक अभियंता के साथ स्थल निरीक्षण करें,
एवं Notecam app के द्वारा फोटोग्राफ कार्य प्रमंडल में देना सुनिश्चित करें, आपके निबंधन के SBD के
सुसंगत **Clause General Conditions of Contract (GCC) के Clause 32 एवं 53.1** तथा SBD के अन्य
कंडिकाओं के तहत डिबार करते हुए काली-सूची में डालने हेतु अनुशंसा की जायेगी। साथ ही पथ के रूटीन
अनुरक्षण कार्य को विभागीय स्तर से कराकर उसकी वसूली आपके द्वारा समर्पित जमानत की राशि से की
जायेगी।

कृपया इसे गंभीरता से लें एवं सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वा

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज।

15/06/2021

15/6/21